

16-10-19

वकील उभयपक्षा उपवाकिल प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा हेतु समय चाहा। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिया जाकर अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है किन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी सं. 3 ता 7 एवं प्रति सं. 13 व 14 का जवाबदावा बंद किया जाता है।

वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन पेश करने बावत पुनः समय चाहा। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन पेश करने की बार-बार हिदायत दी जा चुकी है किन्तु वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन पेश नहीं किये गये। आज भी समय चाहा गया। बार-बार समन पेश नहीं करने पर न्यायिक समय खर्चाद किया जा रहा है एवं न्यायिक आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः वाद वादी अदम तकमिल खारिज किया जाता है। घणावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल जाब्त तमखिल अभिलेखागार हो।

(मकेश खरठ)

16-10-19

